UPPCL

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्याः–4245–औ0सं0/2016–97–ए0एस0/96 दिनाँक :22 अक्टूबर, 2016

प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमाँचल,
वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,विद्युत
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषयः– उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ द्वारा चलाये जा रहे चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 26.10.2016 से कार्य बहिष्कार की नोटिस दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ ने अपने पत्र सं0–07 दिनांक 25.07.2016 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निम्नवत चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 26.10.2016 से कार्य बहिष्कार किये जाने की नोटिस दी है :–

1. **दिनांक 24.10.2016 को शक्ति भवन लखनऊ पर धरना प्रदर्शन।**
2. **दिनांक 25.10.2016 से शक्ति भवन लखनऊ पर भूख–हड़ताल।**
3. **दिनांक 26.10.2016 से कार्य बहिष्कार।**

उक्त चरणबद्ध आन्दोलन में नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अतिरिक्त संविदाकार के माध्यम से नियोजित संविदा श्रमिकों के भाग लेने की आशंका है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–5/2016/1094/24–पी–2–16–1(121)/04 दिनांक 29.06.2016 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–2766–औ0सं0/2016–159–ए0/67 दिनांक 04.07.2016 द्वारा दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में कार्य बहिष्कार, रैली आदि करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ प्रस्तावित चरणबद्ध आन्दोलन एवं दिनांक 26.10.2016 से कार्य बहिष्कार को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जायें।

यह भी अनुरोध है कि सम्भावित कार्य बहिष्कार की अवधि में कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा दिनांक 26.10.2016 को कार्य बहिष्कार में प्रतिभाग लेने हेतु अनुपस्थित होने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/ 17/पाकालि/2001–3–ए0/79 दिनाँक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नहीं तो वेतन नहीं"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये।

उपर्युक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ सभी क्षेत्रीय अधिकारियों–मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ताओं को भी अनुपालनार्थ अवगत कराने का कष्ट करें।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करें।

सलंग्नक :– यथोपरि।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)

UNION iv CLASS/ 32 –

SPO

संख्याः–4245–औ0सं0/2016, तद्‌दिनांक :–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

2– संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

3– समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

7– कट फाइल।

(सत्य प्रकाश पाण्डेय)
निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)